**संख्या- 40/1285/बयालिस-2015-17(निर्माण)/2006**

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**खेल अनुभाग** **लखनऊ : दिनांक 21 जून, 2015**

**विषय :- जनपद फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल के निर्माण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 153/नि0 फैजाबाद स्टे0 पत्रा0/2015-16, दिनांक 19 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या- 210/बयालिस-2014-17(निर्माण)/2006, दिनांक 23 जनवरी, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष- 2015-16 में श्री राज्यपाल महोदय द्वारा जनपद फैजाबाद मे अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल के निर्माण को पूरा कराये जाने हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 15.00 करोड़ में से प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 403.06 लाख (रू0 चार करोड़ तीन लाख छः हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु सहर्ष सहमति प्रदान करते है :-

(1)- उपरोक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि रू0 403.06 लाख (रू0 चार करोड़ तीन लाख छः हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी जिसका उपयोग निर्माण ईकाई द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए नियमानुसार/आवश्यकतानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- गुणवत्ता नियन्त्रण एवं मांनकों आदि को निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त स्वीकृति उपलब्ध परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत दी जा रही है। योजना की प्रगति के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन को अवगत कराया जायेगा। अन्य शर्तें मूल शासनादेश दिनांक 17 जुलाई, 2006 के अनुसार यथावत रहेंगी।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015 /बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(4)- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-26-जनपद फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

2- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिहित अधिकारों के तहत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

**<u>संख्या- 40/1285/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-</u>**

**<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>**

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कम्पाण्ड लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, फैजाबाद।
5- प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 जल निगम, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
8- वित्त एवं लेखाधिकारी, खेल निदेशालय, लखनऊ।
9- नियोजन अनुभाग- 4
10- कम्प्यूटर प्रति/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( अनिल कुमार )
अनु सचिव।